89/2016 अनवर खां — अमीन खां

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.1.017	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. पत्रों बहस। दिनांक 22-11-17 को पेश हो।	
5.3.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 101 रकबा 2.74 हैक्टर वाके ग्राम गोविन्दपुरा प्रार्थी के दत्तक पिता स्व0 गन्नी खां की खातेदारी में दर्ज थी । जिसका एक मात्र वारिस प्रार्थी था । गन्नी खां के देहान्त के बाद उनका एक मात्र वारिस प्रार्थी है । उक्त आराजी पर प्रार्थी स्व0 गन्नी खां के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद काबिज काश्तकार के रूप में चला आ रहा है । गन्नी खां की मृत्यु के बाद गलत रूप से अप्रार्थी सं0-1 ने गलत रूप से गन्नी खां का पुत्र बताकर उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाली जबकि अप्रार्थी सं0-1 असगर खां का पुत्र है । गलत	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

89/2016 अनवर खां — आमीन खां

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	राजस्व रेकार्ड की आड में अप्रार्थी उक्त आराजी को बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह आराजी का बैचान अन्तरण नहीं करें प्रार्थी को बेदखल नहीं करें रेकार्ड परिवर्तन नहीं करें । इस पर अदालत मातहत ने प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट ने पेश की । विद्वान वकील अपीलान्ट ने मुख्य रूप से कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को अनुपस्थित दिखाते हुये आदेश पारित किया है अर्थात सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । विवादित आराजी अपीलान्ट के दत्तक पिता की खातेदारी में दर्ज रही है जिसका एक मात्र वारिस अपीलान्ट है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-1 जो असगर खां का पुत्र है जिसने गलत रूप से अपने आपको स्व0 गन्नी खां का पुत्र बताकर उक्त आराजी की गलत रूप से खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाली तथा अब इस आराजी को बैचान अन्तरण कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र का निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है जिसमें प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दूओं का कोई विवेचन न कर किसी भी दस्तावेज का अवलोकन न कर अपना निर्णय दिया है । रेस्पोडेन्ट सं0-1 का गन्नी खां से कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

	विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थाई	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	

निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण जांच कर ही तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट स्व0 गन्नी का दत्तक पुत्र नहीं है । अनवर के पिता का नाम हुसैन है। अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपना आदेश पारित किया उसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी अनुपस्थित बताते हुये आदेश पारित किया है अर्थात अदालत मातहत ने किसी भी पक्षको सुनवाई का अवसर न देते हुये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । विवादित आराजी का दावा जिसमें हक अधिकार निर्धारित होने है । हक अधिकार निर्धारित हों तब तक कानूनन आराजी की सुरक्षा की जानी चाहिये साथ ही पक्षकारों में और अधिक मुकदमें बाजी नहीं बढे इसके लिये भी हम न्यायहित में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी का निर्णय दिनांक 5-7-2016 खारिज किया जाकर उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी का बैयान/अन्तरण नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । निर्णय सुनाया गया ।

5/3/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर